यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 100 / 2020 — दायर दिनाँक 19.03.2022

वादी

1. रामचन्द्र पुत्र हीराराम उम्र 61 वर्ष
2. भागीरथराम पुत्र मंगाराम उम्र 70 वर्ष समसस्त जाति जाट निवासी सियाको की ढ़ाणी, चौमू डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर
3. पूर्णाराम पुत्र पन्नाराम, उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी भण्डारी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. नुनाराम पुत्र मांगुराम,
2. उमादेवी पत्नि हीराराम
3. गीरधारीलाल पुत्र हनुमानराम
4. नाथुराम पुत्र मंगाराम समस्त जाति जाट निवासीयान सियाको की ढ़ाणी, तह0 डीडवाना
5. रूपाराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी भण्डारी नियासीयान सियाकों की ढाणी तहसील डीडवाना
6. लच्छीराम पुत्र भुराराम
7. तेजाराम पुत्र भुराराम
8. हरजीराम पुत्र भुराराम
9. जगुराम पुत्र भुराराम समस्त जाति जाट निवासीयान सियाकों की ढ़ाणी, तह0 डीडवाना जिला नागौर
10. भंवराराम पुत्र चुनाराम
11. पेमाराम पुत्र चुनाराम
12. नाराण पुत्र शेराराम
13. हनुमानाराम पुत्र पन्नाराम
14. हुक्माराम पुत्र नन्नाराम
15. झमकु देवी पत्नि रूपाराम समस्त जाति जाट निवासी भण्डारी, तहसील डीडवाना जिला नागौर
16. मोहनराम पुत्र दत्तक पुत्र किस्तुराराम
17. भागीरथराम पुत्र नारायणराम
18. गंगली पत्नि जगाराम
19. बरजी देवी पत्नि हरजीराम
20. गेमती पत्नि लिछमणराम
21. ईमरती पत्नि तेजाराम समस्त जाति जाट निवासी सियाको की ढ़ाणी तहसील डीडवाना
22. भूप्रबन्धक अधिकारी, भूप्रबन्धक कार्यालय, राणी सती के पास सीकर
23. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 29.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 194 रकबा 22.14 बीघा की खातेदारी वादी सं0 01 [illegible] व प्रतिवादी [illegible] व 02 के नाम से व खेत खसरा सं0 195 रकबा 26.05 बीघा की वर्तमान [illegible] वादी सं0 02 भागीरथराम, प्रतिवादी सं0 03 व 04 के नाम से व खसरा [illegible] की खातेदारी वादी सं0 03 व प्रतिवादी सं0 05 [illegible] के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि पुराने खेत खसरा सं0 194 का नया खसरा सं0 407 बना है, जिसमें दो ढ़ाणियां खसरा सं0 406 व 408 है। तथा पुराने खसरास ं0 195 के नये खसरा सं0 409 व पुराने खसरा सं0 185 के नये खसरा सं0 391 हुये जिसमें तीन ढ़ाणियां खसरा सं0 388, 389, 390 है।

यह है कि ग्राम चौमू, तहसील डीडवाना में स्थित पुराने खरसा सं0 190 में पूर्वी सिंव–सिंव नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए बी से होता हुआ आगे खसरा सं0 194 में नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क बी सी से होता हुआ आगे खसरा सं0 195 के दक्षिणी कोने में मार्क सी ई होता हुआ खसरा सं0 185 में नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ई एफ होता हुआ एक कदीमी रास्ता पिढ़ीयों से बहता आया है। जो रास्ता चालू हालत में है। इस रास्ते को वादीगण ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है। जो वाद का भाग है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

यह है कि दिनांक 06.03.2020 को नक्शा ट्रेस सन् 2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि नागौर से लेने व नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 04.03.2020 को लेने से वादीगण को पुख्ता तौर से जानकारी हुयी की नक्शा ट्रेस सन् 2009 में भूप्रबन्ध अधिकारीयों ने पिढ़ीयों से बह रहे रास्ते की बजाय नये रास्ते का अंकन नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच, आई, जे कर दिया गया, जो अंकन पक्षकारान को नोटिस दिये बिना व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाला–बाला ही रास्ते का गलत अंकन कर दिया गया, जबकि गलत अंकन की जगह पर कभी भी रास्ता नही और न वर्तमान में है। इस रास्ते के गलत अंकन से वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है। वादीगण उक्त गलत अंकन जरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच, आई, जे को हटवाना चाहते है, और पिढ़ीयों से बहने वाले कदीमी रास्ते नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, ई, एफ पर रास्ते की घोषणा चाहते है। जिससे कि वादीगण कानूनन अधिकारी है। अतः वादीगण को दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण निम्न है :–

यह है कि वादीगण के खेत पुराने खसरा सं0 194 के नये खसरा सं0 407, पुराने खपसरा सं0 195 के नये खसरा सं0 409 व पुराने खसरास ं0 185 के नये खसरा सं0 391 वाके चौमू में से वादीगण द्वारा दर्शाये गये नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच, आई, जे पर किये गये डोट–डोट गलत अंकन को हटाया जाकर नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, ई, एफ जगह पर रास्ते का कटाण दर्ज कर इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 ता 11, 13 ता 21 का जरिये वकील श्री कमलेश कुमार ईकबालिया जवाब पेश हुआ, प्रतिवादी सं0 3, 12, 22, 23 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक/रीडर/रेवेन्यू–2/2022/581 दिनांक 11.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम चौमू के खेत पुराने खसरा सं0 194 के नये खसरा सं0 407, पुराने खपसरा सं0 195 के नये खसरा सं0 409 व पुराने खसरा सं0 185 के नये खसरा सं0 391 वादीगण द्वारा दर्शाये गये नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच, आई, जे पर किये गये डोट–डोट गलत अंकन को हटाया जाकर नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, ई, एफ जगह पर रास्ते को कटाणी रास्ता दर्ज किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 29.07.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

वाद संख्याः **100/2020** दायर दिनाँक **19.03.2022**

वादीया

1. रामचन्द्र पुत्र हीराराम उम्र 61 वर्ष
2. भागीरथराम पुत्र मंगाराम उम्र 70 वर्ष समसस्त जाति जाट निवासी सियाको की ढ़ाणी, चौमू डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर
1. पूर्णाराम पुत्र पन्नाराम, उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी भण्डारी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

2. 1. नुनाराम पुत्र मांगुराम,
3. उमादेवी पत्नि हीराराम
4. गीरधारीलाल पुत्र हनुमानराम
5. नाथुराम पुत्र मंगाराम समस्त जाति जाट निवासीयान सियाको की ढ़ाणी, तह0 डीडवाना
6. रूपाराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी भण्डारी नियासीयान सियाकों की ढाणी तहसील डीडवाना
7. लच्छीराम पुत्र भुराराम
8. तेजाराम पुत्र भुराराम
9. हरजीराम पुत्र भुराराम
10. जगुराम पुत्र भुराराम समस्त जाति जाट निवासीयान सियाकों की ढ़ाणी, तह0 डीडवाना जिला नागौर
11. भंवराराम पुत्र चुनाराम
12. पेमाराम पुत्र चुनाराम
13. नाराण पुत्र शेराराम
14. हनुमानाराम पुत्र पन्नाराम
15. हुक्माराम पुत्र नन्नाराम
16. झमकु देवी पत्नि रूपाराम समस्त जाति जाट निवासी भण्डारी, तहसील डीडवाना जिला नागौर
17. मोहनराम पुत्र दत्तक पुत्र किस्तुराराम
18. भागीरथराम पुत्र नारायणराम
19. गंगली पत्नि जगाराम
20. बरजी देवी पत्नि हरजीराम
21. गेमती पत्नि लिछमणराम
22. ईमरती पत्नि तेजाराम समस्त जाति जाट निवासी सियाको की ढ़ाणी तहसील डीडवाना
23. भूप्रबन्धक अधिकारी, भूप्रबन्धक कार्यालय, राणी सती के पास सीकर
24. तहसीलदार डीडवाना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, डीडवाना (नागौर),

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 29.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम चौमू के खेत पुराने खसरा सं0 194 के नये खसरा सं0 407, पुराने खपसरा सं0 195 के नये खसरा सं0 409 व पुराने खसरा सं0 185 के नये खसरा सं0 391 वादीगण द्वारा दर्शाये गये नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच, आई, जे पर किये गये डोट–डोट गलत अंकन को हटाया जाकर नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, ई, एफ जगह पर रास्ते को कटाणी रास्ता दर्ज किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरें इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner